

244

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-9

संख्या- 19 / 2013 / XXVII(9) / मनो0कर-04 / 2011

दिनांक: देहरादून: 19 फरवरी, 2013  
मन्व

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4(क) की उपधारा (1) और धारा 4(ख) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अधिसूचना सं 58/2010/XXVII(9)/मनो0कर-28/2009 दिनांक 06 सितम्बर, 2010 की अनुसूची की क्रम संख्या 5(ब) में प्रयुक्त शब्द "बंगी जम्प" विलोपित कर दिये जायेंगे।

(डी0एस0 गर्बाल)  
सचिव।

संख्या- 19 / 2013 / XXVII(9) / मनो0कर-04 / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।
- 4- उपायुक्त मनोरंजन कर मुख्यालय/ कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
- 5- समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

*low*  
(विक्रम सिंह राणा)  
अनु सचिव।